1 2018/00038

निर्णय 8/2/18

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार बनाम श्री [illegible] S/o [illegible]

किस्म मुकदमा — ~~आरसीए. 1954 की धारा 32~~

एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 30/18 वर्ष 2018 फसल रबी

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की पालना
22/1/18	पटवारी हल्का [illegible] की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/~~चक~~ [illegible] के खसरा नं./~~मु.नं.मी.~~ 168 तादादी 0-16 बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2074 में नाजायज कब्जा कर बाड़ी ~~काश्त~~ कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर निलाम हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो। [signature]	गै.मु. [illegible] 16 22-1-18
8/2/18	पत्रावली पेश हुई। सं[illegible] गैर सायल। [illegible]। लिहाजा उक्त प्रकरण का निर्णय [illegible] से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। [signature]	[illegible] के पेज न 110 के क्र.सं. 30 पर भोग [illegible] की गयी। [signature] TRA 12/5/18

Scanned by CamScanner

न्यायालय, नायब तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 30 / 2018 दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ढ़ाणी ने रिपोर्ट (पी–14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल तोलाराम पुत्र रुघाराम जाति नाइ साकिन ढ़ा ने ग्राम ढ़ाणी..... के खसरा नं0 168 रकबा 0.16 बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैरसायल अनुउपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बधित गैर सायल तोलाराम पुत्र श्री रुघाराम जाति नाइ साकिन ढ़ा ग्राम ढ़ाणी..... खसरा नं0 168 रकबा 0.16 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधांन के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व 0.40 96 का 50 गुणा रूपये 20/- शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा माग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)

लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2020.03.17 12:05:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: